भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 2137
12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई)

+2137. श्री पी. पी. चौधरीः
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) 2023-24 में शामिल अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार की मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों का अनिगमित उद्यमों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या क्षेत्रीय स्तर पर उद्यमों में वृद्धि और रोजगार में महत्वपूर्ण अंतर देखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए स्टार्ट-अपों के लिए क्या संभावनाएं हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ड.): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों से प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। ये सर्वेक्षण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर पूरे देश को कवर करते हैं, प्रतिदर्श सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चुना जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे छोटी प्रतिदर्श इकाई गांव या गांव का हिस्सा और शहरी क्षेत्रों में शहरी ब्लॉक या शहरी ब्लॉक का हिस्सा है।

इस क्रम में, एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों (निर्माण को छोड़कर) में अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और परिचालन विशेषताओं को मापना है। सर्वेक्षण में इस क्षेत्र की विभिन्न आर्थिक विशेषताओं पर आंकड़े एकत्र किए गए हैं, जिनमें श्रमिकों की

संख्या, सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), भुगतान की गई परिलाब्धियां, स्वामित्व वाली अचल संपत्ति, बकाया ऋण, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की परिचालन विशेषताएं अर्थात स्वामित्व का प्रकार, संचालन की प्रकृति, पंजीकरण की स्थिति, आईसीटी का उपयोग आदि शामिल हैं।

अक्टूबर, 2023 से सितंबर, 2024 के दौरान आयोजित एएसयूएसई वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, एएसयूएसई 2023-24 में सर्वेक्षण किए गए प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 4,98,024 थी। अक्टूबर, 2023 से सितंबर, 2024 के दौरान अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या 7,33,99,476 है।

इस क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या वर्ष 2022-23 में 6.50 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 7.34 करोड़ हो गई, जो 12.84% की अच्छी वृद्धि दर्शाती है।

अक्टूबर 2023 और सितंबर, 2024 के बीच इस क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला, जो वर्ष 2022-23 से एक करोड़ से अधिक श्रमिकों की वृद्धि को दर्शाता है और श्रम बाजार में अच्छी वृद्धि को दर्शाता है।

मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने भारत में असंगठित उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, उनके प्रभाव का आकलन एएसयूएसई में नहीं किया जाता है।

एएसयूएसई वर्ष 2022-23 और एएसयूएसई वर्ष 2023-24 की रिपोर्टों के अनुसार अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठानों और श्रमिकों की राज्यवार अनुमानित संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

राज्य	एएसयूएसई 2022-23		एएसयूएसई 2023-24	
	प्रतिष्ठान	कर्मचारी	प्रतिष्ठान	कर्मचारी
आंध्र प्रदेश	32,05,746	49,41,337	36,34,267	51,44,792
अरुणाचल प्रदेश	70,927	1,04,510	66,682	99,151
असम	9,17,312	13,21,534	11,73,929	17,02,236
बिहार	37,01,144	58,95,375	43,19,314	58,51,757
छत्तीसगढ	9,39,667	18,08,362	12,05,121	22,68,265
दिल्ली	9,30,269	19,99,614	9,97,101	21,94,598
गोवा	53,049	1,18,205	58,742	1,50,979
गुजरात	34,94,085	68,80,754	46,45,859	92,00,653
हरियाणा	11,56,396	21,68,911	12,85,262	23,87,829
हिमाचल प्रदेश	5,18,709	7,58,087	5,38,350	8,10,204
झारखंड	19,77,514	28,92,648	17,67,860	25,70,291
कर्नाटक	34,74,043	58,32,890	36,49,865	58,25,296
केरल	23,19,510	38,50,802	26,46,492	47,49,599
मध्य प्रदेश	32,71,960	55,58,912	39,87,456	64,76,407
महाराष्ट्र	60,97,234	1,15,51,427	64,44,857	1,21,48,273

मणिपुर	1,68,963	2,14,579	1,87,464	2,67,435
मेघालय	1,64,419	3,20,986	1,89,814	3,06,179
मिजोरम	12,841	17,109	16,863	28,659
नागालैंड	53,657	1,05,778	71,674	1,21,882
ओडिशा	29,48,723	40,87,349	34,19,288	47,86,444
पंजाब	16,57,995	28,11,437	18,71,246	31,49,055
राजस्थान	28,37,753	54,08,175	35,04,012	63,65,206
सिक्किम	42,215	78,754	45,938	71,937
तमिलनाडु	42,29,039	84,58,091	45,24,484	87,46,975
तेलंगाना	24,76,860	36,81,180	27,65,997	42,97,888
त्रिपुरा	1,51,335	1,90,951	1,83,220	2,53,346
उत्तर प्रदेश	89,94,323	1,57,45,855	93,83,148	1,59,95,004
उत्तराखंड	5,05,049	8,28,105	6,12,174	10,09,650
पश्चिम बंगाल	78,31,257	1,05,41,884	92,67,816	1,20,38,420
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	21,708	47,998	18,990	37,075
चंडीगढ़	35,253	77,804	77,847	1,81,169
दादर एंव नागर हवेली और दमण और दीव	32,994	66,527	38,245	86,610
जम्मू और कश्मीर	6,65,253	10,73,669	7,00,352	10,62,851
लद्दाक	17,394	30,032	18,146	31,145
लक्षद्वीप	3,098	4,696	4,477	7,622
पुडुचेरी	70,696	1,51,643	77,122	1,74,934

*****